डीजी परिपत्र संख्या - 69 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 13 ,2015

विषय : दुधारू पशु एवं गोवंश के वध तथा अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशानिर्देश।

महोदय,

आप संज्ञानित होंगे कि प्रदेश में अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिए तस्करी कर प्रदेश के विभिन्न सीमाओं के रास्ते से अन्य प्रदेशों में भेजे जाते है, जहां प्रदेश की जनता में इस क्रूर प्रवृत्ति के प्रति आक्रोश उभरता है एवं दुधारू पशुओं की संख्या में कमी भी प्रदर्शित होती है, वहीं पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके रोकथाम हेतु समय-समय पर इस मुख्यालय से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, जिनका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप दुधारू पशुओं का वध बड़े पैमाने पर हो रहा है और उनका परिवहन अनाधिकृत रूप से अन्य राज्यों को किया जा रहा है। कभी-कभी ऐसे घटनाओं से शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का कारण भी बन जाता है। अभी हाल ही की घटनाये इसकी एक मिशाल है।

आप अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी उ0प्र0 गोवध निवारण(संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले अपराधी को कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से जो 10,000/- रू0 तक हो सकता है दण्डित किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। अधिनियम की धारा 5क(1) के अन्तर्गत व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान की सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के सिवाय ऐसे अनुज्ञा पत्र के निबन्धन और शर्तो के अनुसार किसी गाय, साड़ या बैल का जिसका उ0प्र0 में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा और न ही परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न ही परिवहन करायेगा।

प्रदेश में दुधारूपशुओं के अवैध वध एवं उनके अनाधिकृत परिवहन से उत्पन्न होने वाली आर्थिक एवं शांति व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत एवं व्यवहारिक कार्ययोजना आपके द्वारा अनुपालन एव आपके मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है, जो निम्नांकित है:-

- गोवध पर प्रभावी निगरानी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए एवं गोवध सम्बन्धी अपराधों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाए एवं अपराधियों को दण्डित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- गोवंशीय पशुओं के प्रदेश से बाहर बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहित न किया जाए। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा अर्न्तजनपदीय सीमाओं पर, राष्ट्रीय राजमार्गों, सीमावर्ती ग्रामीण पशु पारगमन मार्गों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए बिना अनुज्ञा पत्र के गोवंश परिवहन को रोकने की कार्यवाही की जाए।

- गोवध अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत तस्करी एवं अवैध परिवहन के दौरान पकड़े गये पशुओं को पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से किसी गोशाला या इस हेतु किसी संस्था को सुपूर्दगी में दिया जाए।
- समय-समय पर वधशालाओं का निरीक्षण किया जाए। अनियमितता पाये जाने पर तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही की जाए।
- जोन से लेकर थाना स्तर तक पशुओं की तस्करी के मार्ग चिन्हित किये जाए तथा चेकिंग करायी जाए। अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाये जाने पर तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही की जाए।
- मांस के स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय प्राधिकारी एवं पुलिस पर्याप्त निगरानी रखे। बाहर से आने वाले कारकस को स्थानीय स्तर पर रोका जाए एवं संदेह की स्थिति में/शिकायत प्राप्त होने पर सदिग्ध गोमांस की क्षेत्रीय/जनपदीय पशु चिकित्स से मांस की सैप्लिंग कराकर उसे परीक्षण हेतु रिसर्च आफिसर्स, फारेन्सिक डिपार्टमेन्ट, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा भेजवाया जाए। यदि परीक्षण के पश्चात गोमांस की पुष्टि हो जाए तो गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वैद्यानिक कार्यवाही की जाए।
- पशु तस्करों के बारे में अभिसूचना संकलित कर विलेज क्राइम नोट बुक में अंकन किया जाए और उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाए।
- पशुओं के वध/तस्करी में संलिप्त ऐसे अपराधी जिनके विरूद्ध विगत 05 वर्षों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये हैं उनका विवरण तैयार किया जाये तथा उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाये।
- पशु वधशाला पर आने वाले पशुओं पर सतर्क निगाह रखी जाये तथा पशु वधशाला में पूर्व से निर्धारित पशुओं के अतिरिक्त अन्य पशु न कटे और यदि कटते हैं तो वो किन-किन स्रोतों से पशु वधशाला लाये गये हैं उनकी छानबीन की जाये।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्ठावान कर्मियों का एक सचल दस्ता राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित किया जाये एवं उन्हे रात्रि में सचल(mobile) रहकर आकस्मिक(surprise) चेंकिग किया जाये। जिस थाना क्षेत्र में पशु पकड़े जाये उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष के आचरण की जॉच करके उन्हे थानाध्यक्ष पद से हटाया जाये व अन्य कार्यवाही भी की जाये।
- जनपद में स्थित पशु वधशालाओं का अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये और सुनिश्चित किया जाये कि उन पशु वधशालाओं में पशुओं का अवैध कटान तो नही हो रहा है। यदि ऐसा है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- विगत 05 वर्षों में पशुओं की तस्करी के सम्बन्ध में एकत्रित सूचनाओं का अवलोकन कर ऐसे मार्गों को चिन्हित कर लिया जाये जहॉ पशु तस्करी की अत्यधिक घटनायें घटित हुई हैं। इन मार्गों पर जनपद के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
- ऐसे अपराधी जो पशु तस्करी के अपराध में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, पुनः ऐसे अपराध कारित करते हुए पाये जायें तो इन अपराधियों के विरूद्ध हिस्ट्रीशीट खोलकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र में साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रूप से लगने वाले पशु मेला/हाट का निरीक्षण कर विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा कठोर निगरानी रखी जाये। पशुओं की खरीद - फरोख्त करने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखी जाये।

- प्रदेश के सीमा से जुड़े अन्य राज्यों के ऐसे मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाये और नियमित चेंकिग की जाये जो कि पशु तस्करी की दृष्टि से संवेदनशील हैं। यह भी ध्यान रखा जाये कि ऐसी चेंकिग टीम के पास स्वचालित हथियार हो और टीम के सदस्य चुस्त दुरूस्त एवं हथियार चलाने में दक्ष हों। चेंकिग के दौरान सभी कर्मियों को सतर्क रहना नितान्त आवश्यक है।
- जनपद में स्थापित पशु वधशालाओं में पशुओं के मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करें और इसे आकस्मिक रूप से चेंकिग कराया जाये कि सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील है अथवा नही। सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील न पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पशु वधशालाओं के संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाये।
- जनपदों में स्थापित पशु वधशालाओं में प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से स्थापित हो जहॉ पर पुलिस तथा पशुधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रखी जाये और पशु वध हेतु लाये गये पशुओं के सम्बन्ध में परिवहन का माध्यम, वाहन की संख्या, वाहन चालक का नाम, पशुवध हेतु लाये जाने वाले पशुओं की पशुवध हेतु आवश्यक मानक की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, पशु दुधारू तो नही है के विषय में पृथक रजिस्टर में सूचनायें दर्ज की जाये जिनका समय-समय पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाये।

अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं को आत्मसात् करते हुए अपने अधीनस्थों को पूर्ण मनोयोग के साथ इस विषय में अवगत करायें तथा गाय एवं गोवंश के वध, गोतस्करी, पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन को रोकने हेतु दिनांक 01.11.2015 से तीन माह का विशेष अभियान चला कर सार्थक परिणाम प्राप्त करें तथा संलग्न प्रारूप में चलाये गये अभियान का परिणाम की मासिक सूचना जनपदवार संकलित कर जोन की संकलित सूचना ईमेल पता -igcrime-up@nic.in पर माह की 07 तारीख तक प्रत्येक दशा में जोनल पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से इस मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(जगमोहन यादव) 13/11/15

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों एवं कृत कार्यवाही का विवरण

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	पंजीकृत अभियोगों की सं0			अभियुक्तों की कुल संख्या				अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही						विवेचनात्मक प्रगति			निरोधात्मक कार्यवाही		
			पंजीकृत	खारिज	शेष अभियोगों की सं0	नामजद	प्रकाश में आये	गलत पाये गये	कुल योग	गिरफ्तार	हाजिर अदालत	मृत/भारे गये	फुर्की	कुल योग कार्यवाही	शेष अभियुक्तों की सं0	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	एन0 एस0 ए0	मैजिस्टर एक्ट	गुण्डा एक्ट

गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों एवं कृत कार्यवाही का विवरण

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	पंजीकृत अभियोगों की सं0			अभियुक्तों की कुल संख्या				अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही						विवेचनात्मक प्रगति			निरोधात्मक कार्यवाही		
			पंजीकृत	खारिज	शेष अभियोगों की सं0	नामजद	प्रकाश में आये	गलत पाये गये	कुल योग	गिरफ्तार	हाजिर अदालत	मृत/भारे गये	फुर्की	कुल योग कार्यवाही	शेष अभियुक्तों की सं0	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	एन0 एस0 ए0	मैजिस्टर एक्ट	गुण्डा एक्ट